न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिकमगंज।
आपराधिक विविध वाद सं0 –51/2025
काराकाट थाना कांड सं0–115/2022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिकमगंज।
आपराधिक विविध वाद सं0–51/2025
आदेश

16.04.2026

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त रमेश सिंह एवं अन्य द्वारा पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238/2025 विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, रोहतास के न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई हेतु विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, XIX, रोहतास के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2025 को आवेदक अभियुक्त रमेश सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया गया था तथा उसे आदेश पारित किए जाने की तिथि से तीन पखवाड़े के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्धारित समय–सीमा के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर सका था। अतः न्यायहित में आत्मसमर्पण हेतु समय–सीमा के विस्तार की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के आवेदन का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में इस आपराधिक विविध वाद की सुनवाई विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश XIX, रोहतास के न्यायालय द्वारा की जा रही थी, किन्तु क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के फलस्वरूप यह मामला बिकमगंज अनुमंडल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाने से वर्तमान में इस न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है।

अभिलेख के अवलोन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238/2025 में दिनांक 09.04.2025 को पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी तथा उसे तीन पखवाड़े के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु वह उक्त अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं कर सका था।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा न्यायहित में, आवेदक अभियुक्त का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त रमेश सिंह को आदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश के पारित किए जाने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय आत्मसमर्पण करे। उक्त अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238/2025 में दिनांक 09.04.2025 को पारित आदेश की शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त किया जाएगा।

कार्यालय लिपिक अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 238/2025 के मूल अभिलेख को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, XIX, रोहतास के न्यायालय को वापस करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिकमगंज।